न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. दल्लू पत्नी डालू भील उम्र वयस्क निवासी भाट खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. बालू पिता केशा भील निवासी मेंघरास तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. शम्भु पिता मूला भील उम्र वयस्क निवासी भाट खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. काली पत्नी डालू भील मृतक के बजाय—
   1/1 नन्दा पिता ज्वारा भील उम्र वयस्क निवासी चेनपुरा
   1/2 तुलछा पिता ज्वारा भील उम्र वयस्क निवासी चेनपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थिति—

1. किशन लाल कुमावत वादी अधिवक्ता

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 64/2024 राजस्व वाद — निर्णय दिनांक—28/1/2025

वादीगण की ओर से दिनांक 02.08.2024 को अधिवक्ता श्री किशनलाल कुमावत द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसे रिपोर्ट उपरान्त रजिस्टर में कम संख्या 64/2024 पर पंजीबद्ध किया गया।

वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकार आधिपत्य की सामलाती हक अधिकार की कृषि भूमि ग्राम चेनपुरा प०ह० सेथुरिया तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 4 में आराजी नम्बर 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136 कुल किता 15 कुल रकबा 3.8947 है० स्थित है। उक्त भूमि में खातेदार काली पत्नी डालू भील की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके दोनो पुत्रों ज्वारा व भैरू भील की भी मृत्यु हो चुकी है। ज्वारा भील के दो पुत्र है जो प्रतिवादी संख्या 1 के बजाय पक्षकार कायम किये गये है। जिनका नाम अभी तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। उक्त भूमि में वादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 1/24 व 1/4 हक हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/12 हक हिस्सा निहित है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच उक्त भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है तथा अपने—अपने हिस्से के बारे में भी विवाद होता रहता है जिससे विवाद की स्थिति बनी रहती है। जबकि उक्त भूमि में वादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 1/24 व 1/4 हक हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/12 हक हिस्सा निहित होकर अपने हिस्सेनुसार बंटवारा होकर रेकार्ड में दर्ज होना है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा उक्त भूमि का बंटवारा बाबत मौखिक निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे वादीगण अपनी भूमि के पूर्णतः उपयोग—उपभोग से वंचित हो रहे है इसलिये वादीगण उक्त आराजियात का बंटवारा कराने के कानूनन अधिकारी है तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अपना नाम पृथक से दर्ज कराने के अधिकारी है।

अतः ग्राम चेनपुरा प०ह० सेथुरिया तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 4 में स्थित आराजी नम्बर 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136 कुल किता 15 कुल रकबा 3.8947 है० भूमि का वादीगण व प्रतिवादी के मध्य मिटस एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा किये जाने की डिक्री सादिर फरमायी जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

वादीगण का वादपत्र दिनांक 02.08.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादीगण के सम्मन तलवाने बाद तामील दिनांक 25.10.2024 को प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी सख्या 1/1 व 1/2 का जवाब बंद किया जाकर एवं प्रतिवादी संख्या 2 के फोरमल पक्षकार होने से दिनांक 13.11.2024 को एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री वास्ते विभाजन प्रस्ताव हेतु जारी की गई।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाड़ा से दिनांक 24.12.2024 को प्राथमिक डिक्री की पालना में कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार ग्राम चेनपुरा के आराजी नम्बर 121 से 132, 133 से 136 कुल किता 15 का मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। दिनांक 06.03.2025 को वादी अधिवक्ता द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर वास्ते विभाजन प्रस्ताव पर आपति/आक्षेप हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादी ग्राम चेनपुरा प०ह० सेथुरिया तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 4 में अभिलिखित आराजी नम्बर 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136 कुल किता 15 कुल रकबा 3.8947 है० भूमि का सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से पक्षकारो को फसल काश्त करने विकास करने उपजाउ बनाने व लगान आदि जमा कराने में एवं भूमि को विकसित करने में भारी कठिनाई आती है तथा कृषि भूमि को काश्त करते समय मौके पर वाद विवाद व लडाई झगडा होता रहता है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 एवं वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि को पृथक–पृथक किये जाने की अंतिम तथा तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की जावे।

ग्राम चेनपुरा प०ह० सेथुरिया तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 4 में अभिलिखित आराजी नम्बर 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136 कुल किता 15 कुल रकबा 3.8947 है० भूमि सह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त आराजियात के खातेदार होने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि आराजियात का बंटवारा कराने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त आराजी से वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक–हिस्से अनुसार विभाजित करने की अंतिम डिक्री पारित की जावे।

वादीगण के वादपत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का सेथुरिया भू0नि0क्षे0 कारोईकलां, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात का विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिसान की जांच कर राजस्व रिकॉर्ड में मृतक के स्थान पर उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा विभाजन आदेश की पालना से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। उसी अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिसान के नाम तहसीलदार भीलवाडा द्वारा निम्नानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. वादीगण दल्लू पत्नी डालू भील सा0 भाटखेडा, खातेदार हिस्सा 18904/33083, बालूराम पुत्र केशु भील सा0 मेघरास, तहसील सहाडा, खातेदार हिस्सा 11028/33083, शम्भु पुत्र मूला भील सा0 भाटखेडा खातेदार हिस्सा 3151/33083 खातेदारान के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
121	0.0885	गेमु पाल
122	0.3667	बंजड
123	0.2655	बंजड 0.0505 बारानी 0.2150
124	0.0632	बंजड
125	0.2150	चाही तृतीय 0.0379 जाव तृतीय 0.1771
126	0.7081	चाही तृतीय 0.3414 जाव तृतीय 0.3667
127	0.4805	बंजड
128	0.1138	बारानी द्वितीय

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

129	0.4932	बारानी द्वितीय
132	0.3035	चाही तृतीय 0.1138 जाव तृतीय 0.1897
136	0.1265	बारानी द्वितीय
131/1	0.0838	बारानी प्रथम
कुल किता 12	कुल रकबा 3.3083 है0	

2. काली पत्नी डालू भील मृतक के बजाय निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में विधिक वारिसान के नाम दर्ज की जावे।

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
130	0.2782	चाही तृतीय 0.1897 जाव तृतीय 0.0885
134	0.1138	चाही तृतीय 0.0885 जाव तृतीय 0.0253
131/2	0.0806	बारानी प्रथम
कुल किता 03	कुल रकबा 0.4726 है0	

3. वादीगण एवं मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान निम्न भूमि राजस्व रेकार्ड में शामलाती रहेगी।

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
135	0.1138	गे.मु. आचा
कुल किता 01	कुल रकबा 0.1138 है0	

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। अतएव

<u>–:आदेश:–</u>

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–54 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम चेनपुरा प०ह० सेथुरिया तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 4 में अभिलिखित आराजी नम्बर 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136 कुल किता 15 कुल रकबा 3.8947 है० भूमि में तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। निर्णय का अमल दरामद करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान की जांच कर विरासत का नामान्तरण दर्ज करे।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

28/11/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

(अरु...)
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. दल्लू पत्नी डालू भील उम्र वयस्क निवासी भाट खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. बालू पिता केशा भील निवासी मेंघरास तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. शम्भु पिता मूला भील उम्र वयस्क निवासी भाट खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. काली पत्नी डालू भील मृतक के बजाय—
   1/1 नन्दा पिता ज्वारा भील उम्र वयस्क निवासी चेनपुरा
   1/2 तुलछा पिता ज्वारा भील उम्र वयस्क निवासी चेनपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—54 रा.टि.ए. 1955।

प्रकरण संख्या 64/2024 राजस्व वाद | निर्णय दिनांक—28.05.2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता किशन लाल कुमावत उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 उपस्थित नहीं में— इस वाद में आज तारिख 28.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्न अन्तिम डिक्री दी जाती है—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व मृतक प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिसान 1/1, 1/2 के इस आशय की जारी की जारी की जाती है कि ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का सेथुरिया भू0अ0नि0 कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उसी अनुसार भूमि वादीगण एवं मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. वादीगण दल्लू पत्नी डालू भील सा0 भाटखेडा, खातेदार हिस्सा 18904/33083, बालूराम पुत्र केशु भील सा0 मेघरास, तहसील सहाडा, खातेदार हिस्सा 11028/33083, शम्भु पुत्र मूला भील सा0 भाटखेडा खातेदार हिस्सा 3151/33083 खातेदारान के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
121	0.0885	गेमु पाल
122	0.3667	बंजड
123	0.2655	बंजड 0.0505 बारानी 0.2150
124	0.0632	बंजड
125	0.2150	चाही तृतीय 0.0379 जाव तृतीय 0.1771
126	0.7081	चाही तृतीय 0.3414 जाव तृतीय 0.3667
127	0.4805	बंजड
128	0.1138	बारानी द्वितीय
129	0.4932	बारानी द्वितीय
132	0.3035	चाही तृतीय 0.1138 जाव तृतीय 0.1897
136	0.1265	बारानी द्वितीय
131/1	0.0838	बारानी प्रथम
कुल किता 12	कुल रकबा 3.3083 है0	

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

2. काली पत्नी डालू भील मृतक के बजाय विधिक वारिसान के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
130	0.2782	चाही तृतीय 0.1897 जाव तृतीय 0.0885
134	0.1138	चाही तृतीय 0.0885 जाव तृतीय 0.0253
131/2	0.0806	बारानी प्रथम
कुल किता 03	कुल रकबा 0.4726 है0	

3.वादीगण एवं मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड में शामलाती रहेगी।

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
135	0.1138	गे.मु. आचा
कुल किता 01	कुल रकबा 0.1138 है0	

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक ....28/5....2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

28/5/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर
भीलवाडा